आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
30/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 50/2011** **श्याम उरांव बनाम् बुधुवा उरांव** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–77-R15/2007-08 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची द्वारा भू–वापसी वाद–41/2006–07 में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया गया है। प्रश्नगत् वाद में आवेदकों के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–08.03.2016 को दर्ज की गयी थी, उक्त तिथि के पश्चात् लगातार उभयपक्ष न्यायालय से अनुपस्थित है। विपक्षी यदा–कदा न्यायालय में उपस्थित होते रहे है। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन में धारा–89 एवं नियम–74 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत् यह वाद दायर किया गया है। स्पष्टतः भू–वापसी के मामले में धारा–217 के तहत् पुनरीक्षण दायर किया जाता है, जबकि आवेदकों द्वारा सर्वे अपील के धाराओं के तहत् यह वाद दायर किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालयों में कई बार मौका दिये जाने के बाद भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुये एवं एकपक्षीय सुनवाई की गयी। अपीलीय न्यायालय में उभयपक्षों को सुना गया तथा उभयपक्षों के द्वारा लिखित बहस भी दायर की गयी। विवादित भूमि मौजा–तेतरटोली, खाता संख्या–200, खेसरा–1052, रकबा–0.45 एकड़ आर0 एस0 खतियान में मंगरा उरांव व अन्य के नाम से दर्ज है। यह खतियान कब्जेवारी खतियान है, जिसमें ब–कब्जे रतनू उरांव का नाम दर्ज है। उक्त कब्जेधारी के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस जो इस वाद के विपक्षी है, भूमि के दखलकार हुये। प्रतिवादियों की तरफ से उक्त भूमि को आवेदकों को हस्तांतरित करने हेतु एक अनुमति वाद वर्ष–1999–2000 में दायर किया गया था। संभवतः इसी आधार पर	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आवेदक प्रश्नगत् भूमि पर बने एक मकान पर कब्जा किये हुये रहे। स्पष्टतः आवेदकों को प्रश्नगत् भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है एवं उक्त भूमि विपक्षियों की खतियानी भूमि है। यह भी मानने का पूर्ण आधार है प्रश्नगत् हस्तांतरण वर्ष–1999 के आस–पास किया गया है, जिस कारण उक्त हस्तांतरण को वैध करने का प्रयास अनुमति प्राप्त कर बिक्री के माध्यम से भी किया गया है। इस न्यायालय में धारा–89 के तहत् यह पुनरीक्षण दायर किया गया है, जो विधिसम्मत भी नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.02 14:09:15 +05:30
Location: 192.168.1.40